निबंधन सं० पी० टी०—40

सत्यमेव जयते

# बिहार गजट

## असाधारण अंक

## बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 आषाढ़ 1928 (श०)

(सं० पटना 579) पटना, बुधवार, 19 जुलाई, 2006

मानव संसाधन विकास विभाग

---

अधिसूचना

1 जुलाई, 2006

सं०7/नि०3-02/06—974— भारत के संविधान की धारा 243 छ (11 वीं अनुसूची, मद संख्या-17) तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम,2006 के अनुच्छेद 47 एवं 48 सह पठित अनुच्छेद 146 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के नियोजन हेतु निम्नांकित नियमावली बनाती हैं :—

नियमावली

प्रस्तावना— संविधान की धारा 21 'क' के अन्तर्गत 6—14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा उनका मौलिक अधिकार हो गया है। इसके लिए राज्य के प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में व्यापक प्रसार एवं सुधार के कार्यक्रमों को अपनाया जाना आवश्यक हो गया है। हजारों नये प्रारंभिक विद्यालयों को खोलने तथा बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियोजन की आवश्यकता है। साथ ही 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के आलोक में प्रारंभिक शिक्षा में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हुए प्रारंभिक शिक्षा के दायित्वों के निर्वहन का भार भी इन संस्थाओं को सौंपना आवश्यक हो गया है। अतएव इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विशेष योजना के अधीन प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर नियोजन हेतु यह नियमावली बनायी जा रही है।

1. संक्षिप्त नाम,प्रसार एवं प्रारंभ —
   - (i) यह नियमावली ''बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमांवली 2006'' कहीं जायेगी।
   - (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   - (iii) यह अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी।
2. परिभाषाएँ — जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध नहीं हो, इस नियमावली में —
   - (i) ''प्राथमिक विद्यालय'' से अभिप्रेत है वैसे राजकीय एवं राजकीयकृत विद्यालय जहां वर्त्तमान में कक्षा पांच तक की शिक्षा की व्यवस्था है;
   - (ii) ''मध्य विद्यालय'' से अभिप्रेत है वैसे राजकीय/राजकीयकृत जहां वर्त्तमान में कक्षा सात या कक्षा आठ तक की शिक्षा की व्यवस्था है;
   - (iii) ''प्रारंभिक विद्यालय'' से अभिप्रेत है राजकीय/राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य विद्यालय;
   - (iv) ''पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक'' से अभिप्रेत है नियमावली की कंडिका 3 के अनुसार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में नियोजित होने वाले प्रखंड शिक्षक एवं पंचायत शिक्षक;
   - (v) ''श्रेणी'' से अभिप्रेत है पंचायत प्रारम्भिक शिक्षकों की श्रेणी;
   - (vi) ''विभाग'' से अभिप्रेत है मानव संसाधन विकास विभाग;
   - (vii) ''पंचायत'' से अभिप्रेत है ग्रामीण क्षेत्र के लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 'ख' के अधीन गठित स्वशासी संस्था यथा जिला परिषद्,पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत;
   - (viii) ''ग्राम पंचायत'' से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायत;

(ix) "पंचायत समिति " से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत गठित प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति;

(x) "प्रशिक्षण" से अभिप्रेत है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय प्रशिक्षण । मान्यता प्राप्त संस्थान से बी0एल0एड0 या बी0एड0;

(xi) "उर्दू इकाई" से अभिप्रेत है प्रारंभिक विद्यालयों में उर्दू पढने वाले कम–से–कम दस तथा अधिकतम तीस बच्चों के लिए एक शिक्षक का पद;

(xii) "विद्यालय शिक्षा समिति" से अभिप्रेत है प्रत्येक विद्यालय के प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण हेतु विद्यालय शिक्षा समिति अधिनियम, 2000 के अधीन गठित समिति;

(xiii) "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से अभिप्रेत है" NCTE या अन्य किसी नाम से विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को नियमित करनेवाली परिषद;

(xiv) "कार्यपालक पदाधिकारी " से अभिप्रेत है किसी पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी ।

3– <u>पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों की श्रेणी</u> :– पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक निम्नांकित दो श्रेणी के होंगे:–

(क) प्रखण्ड शिक्षक

(प्रखण्ड स्तर पर नियोजित शिक्षक जिसमें शारीरिक शिक्षा शिक्षक भी सम्मिलित है)

(ख) पंचायत शिक्षक

(ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजित शिक्षक)

4– पंचायत प्रारम्भिक शिक्षकों का नियोजन :–

(1) प्रखण्ड शिक्षको का नियोजन मध्य विद्यालय में पंचायत समिति के द्वारा तथा पंचायत शिक्षक का नियोजन प्राथमिक विद्यालयों में ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा ।

(2) शिक्षकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त दोनों स्तरों पर कोटिवार प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों का पैनल अलग–अलग तैयार किया जायेगा । सर्वप्रथम प्रशिक्षित शिक्षकों का नियोजन किया जायेगा । तत्पश्चात रिक्ति उपलब्ध होने पर अप्रशिक्षित शिक्षकों का नियोजन भी किया जा सकेगा और उन्हें दो वर्षीय प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी ।

(3) आरक्षित कोटि में उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडियट परीक्षा पास उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में माध्यमिक परीक्षा पास उम्मीदवारों को भी नियोजित किया जा सकेगा; परन्तु उन्हें निर्धारित योग्यता अधिकतम 6 वर्षो के अन्दर प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।

5– <u>आरक्षण</u>:–

(क) "पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक" का नियोजन आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जायेगा ।

(ख) प्रत्येक कोटि में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थी का नियोजन किया जायेगा। विषम संख्या रहने पर अंतिम पद महिला के लिए चिन्हित किया जायेगा ।

(ग) 50% पुरुष एवं 50% महिला के लिए पदों के निर्धारण के बाद आरक्षण बिन्दु 1 से प्रारम्भ होगा। इसके लिए अलग–अलग रोस्टर पंजी संधारित की जायेगी ।

(घ) पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक की प्रत्येक कोटि में तीन प्रतिशत विकलांग (दृष्टि बाधित 1% श्रवण बाधित 1% तथा अस्थिजन्य विकलांग 1%) उम्मीदवारों का नियोजन किया जायेगा ।

टिप्पणी – मेधा के आधार पर चयन होने की स्थिति में किसी व्यक्ति को विकलांग होने के कारण नियोजन से वंचित नहीं किया जायेगा ।

6– उर्दू शिक्षकों का नियोजनः–

विद्यालय के मात्र उर्दू इकाईयों पर उर्दू योग्यता रखने वाले तथा मौलवी योग्यताधारी अभ्यर्थियों का नियोजन किया जायेगा ।

7– शारीरिक शिक्षा शिक्षक का नियोजनः–

प्रत्येक मध्य विद्यालय में एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक का नियोजन किया जायेगा ।

8– नियुक्ति हेतु :–

(क) अर्हताः

प्रखण्ड शिक्षक के लियेः–

1 भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हों ।

2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उच्चतर माध्यमिक अथवा इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो ।

3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में स्नातक (बी0एल0एड0) अथवा बी0एड0 के साथ स्नातक अथवा समकक्ष योग्यता ।

शारीरिक शिक्षा शिक्षक के लिए न्यूनतम दो वर्षों का सर्टिफिकेट (सी0पी0एड0) अथवा समकक्ष योग्यता प्राप्त हो ।

परन्तु इस नियमावली के अधीन प्रथम नियोजन में वैसे उम्मीदवारों का भी नियोजन किया जा सकेगा, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय से दो वर्षो का शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा/बी0एड0/2 वर्षो का शारीरिक प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट (सी० पी० एड०) पास हो।

पंचायत शिक्षक के लियेः–

1. भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी हो ।

2. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो ।

3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अथवा प्रारम्भिक शिक्षा में स्नातक (बी0एल0एड0) ।

परन्तु इस नियमावली के अधीन प्रथम नियोजन में वैसे उम्मीदवारों का भी नियोजन किया जा सकेगा, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) अधिनियम लागू होने के पूर्व मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय से दो वर्षों का शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा पास हो ।

**(ख) आयु :–**

जिस वर्ष नियोजन किया जा रहा हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग को 5 वर्ष, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 वर्ष तथा प्रत्येक कोटि की महिला उम्मीदवार के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जायेगी ।

परन्तु प्रखण्ड शिक्षक तथा पंचायत शिक्षक की प्रशिक्षित श्रेणी के नियोजन के प्रथम नियोजन में अधिकतम उम्र सीमा क्षान्त रहेगी ।

9– **नियोजन की प्रक्रिया**

(i) राज्य सरकार प्रखण्ड शिक्षकों के नियोजन हेतु समय–समय पर पंचायत समिति को तथा पंचायत शिक्षकों के नियोजन हेतु ग्राम पंचायतों को पदों की संख्या उपलब्ध करायेगी ।

(ii) पंचायत समिति/ग्राम पंचायत द्वारा कोटिवार प्रखण्ड शिक्षक तथा पंचायत शिक्षक के रिक्त पदों की सूचना का प्रकाशन पूरे प्रखंड/पंचायत में कम से कम 15 दिनों तक के लिए किया जायेगा ।

(iii) विहित प्रपत्र (अनुसूची – I) में आवेदन पत्र प्रखण्ड शिक्षक के लिए प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के यहाँ तथा पंचायत शिक्षक के लिए ग्राम पंचायत के सचिव के यहाँ प्राप्त किया जायेगा । प्राप्ति के बाद तुरन्त एक प्रति रसीद दी जायेगी/भेजी जायेगी ।

(iv) **प्रखण्ड शिक्षक के नियोजन हेतु पैनल :–**

(क) प्रखण्ड शिक्षक के नियोजन हेतु पैनल प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति के प्रमुख की अध्यक्षता में गठित पंचायत समिति के द्वारा मेधा अंको के आधार पर तैयार किया जायेगा । मेधा अंकों की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :–

1. मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडिएट – प्राप्तांक का प्रतिशत
2. दो वर्षीय प्रशिक्षण/बी0एल0एड0/बी0एड0/सी0पी0एड0 – प्राप्तांक का प्रतिशत

परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी दो वर्षीय प्रशिक्षण तथा बी0एल0एड0/बी0एड0/सी0पी0एड0 की डिग्री प्राप्त किया हो तो उनके द्वारा दावा किये गये किसी एक प्रशिक्षण के प्राप्तांक के प्रतिशत को मेधा अंक में जोड़ा जायेगा ।

(ख) उपरोक्त 1 और 2 को जोड़कर तथा जोड़ को दो से भाग देने पर जो प्रतिशत होगा, वही अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा ।

(ग) परन्तु शारीरिक शिक्षा शिक्षक के नियोजन हेतु पैनेल अलग से तैयार किया जायेगा ।

(v) **पंचायत शिक्षक के नियोजन हेतु पैनल :–**

(क) पंचायत शिक्षक के नियोजन हेतु पैनल ग्राम पंचायत के मुखिया की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा मेधा अंको के आधार पर तैयार किया जायेगा । मेधा अंको की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :–

1. मैट्रिक/उच्चतर माध्यमिक/इन्टरमीडिएट – प्राप्तांक का प्रतिशत
2. दो वर्षीय प्रशिक्षण/बी0एल0एड0 – प्राप्तांक का प्रतिशत

KEAMS

परन्तु यदि कोई अभ्यर्थी दो वर्षीय प्रशिक्षण तथा बी0एल0एड0 दोनों की डिग्री प्राप्त किया हो तो उनके द्वारा दावा किये गये किसी एक प्रशिक्षण के प्राप्तांक के प्रतिशत को मेधा अंक में जोड़ा जायेगा ।

(ख) उपरोक्त 1 और 2 को जोड़कर तथा जोड़ को दो से भाग देने पर जो प्रतिशत होगा, वही अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा ।

(vi) दोनों स्तरों के शिक्षकों के नियोजन हेतु पैनल निर्माण के कम में समान अंक प्राप्त होने पर, जिनकी जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें पैनल में उपर रखा जायेगा । समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर ड्रॉ ऑफ लॉट् के द्वारा पैनल में उपर स्थान निर्धारित होगा ।

(vii) <u>पैनेल निर्माण हेतु समिति का गठन तथा अनुमोदन</u> :–

प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर पैनल का निर्माण निम्नलिखित समिति के द्वारा किया जाएगा :–

(क) <u>प्रखण्ड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षक हेतु</u> :–

| | | |
|---|---|---|
| (i) | पंचायत समिति का प्रमुख | – अध्यक्ष |
| (ii) | कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति | – सदस्य |
| (iii) | पंचायत समिति के शिक्षा समिति द्वारा चयनित एक सदस्य; (प्रमुख पुरूष होने पर चयनित सदस्य महिला होगी) | – सदस्य |
| (iv) | प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी | – सदस्य सचिव |

(ख) <u>पंचायत शिक्षक हेतु</u> :–

| | | |
|---|---|---|
| (i) | ग्राम पंचायत का मुखिया | – अध्यक्ष |
| (ii) | ग्राम पंचायत के शिक्षा समिति द्वारा चयनित एक सदस्य; (मुखिया पुरूष होने पर चयनित सदस्य महिला होगी) | – सदस्य |
| (iii) | पंचायत समिति का वह सदस्य जिनके क्षेत्र का अधिकांश भाग उस पंचायत में पड़ता हो | – सदस्य |
| (iv) | पंचायत अथवा पंचायत के निकटस्थ माध्यमिक विद्यालय का जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एक शिक्षक | – सदस्य |
| (v) | ग्राम पंचायत सचिव | – सदस्य सचिव |

परन्तु उपरोक्त दोनों समितियों में चयनित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा ।

**टिप्पणी**:– पंचायत समिति की शिक्षा समिति तथा ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति गठित नहीं होने की स्थिति में प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा पंचायत समिति / ग्राम पंचायत के एक सदस्य समिति के सदस्य मनोनित कर सकेंगें ।

vii) पैनल तैयार हो जाने पर उसे सार्वजनिक किया जायेगा। किसी प्रकार की आपत्ति देने हेतु एक सप्ताह का समय दिया जायेगा। प्राप्त आपत्ति का निराकरण कर पैनल को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

x) प्रखण्ड शिक्षकों तथा पंचायत शिक्षकों के नियोजन हेतु तैयार पैनेल का अनुमोदन कमशः पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा ।

(x) चयनित अभ्यर्थियों को इच्छित विद्यालयों में नियोजन मेधा के आधार पर तैयार पैनेल से अनुसूची–II में अंकित प्राथमिकता के अवरोही कम में उपरोक्त समिति द्वारा काउन्सिलिंग के आधार पर किया जायेगा ।

(xi) चयनित अभ्यर्थी को नियोजन पत्र (अनुसूची – III) भेजा जायेगा । सहमति पत्र के आधार पर योगदान स्वीकृत किया जायेगा ।

**10– अनुकम्पा के आधार पर नियोजन:–**

शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर निर्धारित योग्यता के अनुरूप पंचायत शिक्षक/प्रखण्ड शिक्षक के पद पर उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध नियोजन किया जा सकेगा यदि वे स्पष्ट रूप से इसके लिए अपनी सहमति देते हैं। नियोजन सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी निर्धारित अन्य शर्त्तों के आलोक में उपरोक्त समितियों द्वारा किया जा सकेगा, अप्रशिक्षित आश्रितों को नियोजन के बाद उन्हें अधिकतम 6 वर्षों के अन्दर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा ।

**11– प्रमाण पत्रों की जॉच :–**

पंचायत समिति के कार्यपालक-पदाधिकारी को तथा ग्राम पंचायत के मुखिया को यह अधिकार रहेगा कि वे प्रशिक्षण या योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जॉच करा लेंगे। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द कर दिया जायेगा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

**12– सेवा संबंधी अन्य शर्त्तें :–**

(i) पशिक्षित प्रखण्ड शिक्षक तथा पंचायत शिक्षकों को नियत वेतन के आधार पर नियोजित किया जायेगा और उन्हें रू. 5,000 प्रतिमाह देय होगा ।

(ii) अप्रशिक्षित प्रखण्ड शिक्षक तथा पंचायत शिक्षकों को नियत वेतन के आधार पर नियोजित किया जायेगा तथा उन्हें रु० 4,000 प्रतिमाह देय होगा ।

(iii) प्रत्येक तीन वर्षो के बाद यथा निर्देशित मूल्यांकन के आधार पर प्रशिक्षित प्रखण्ड शिक्षक/पंचायत शिक्षक अपने नियत वेतन में 500 रूपये वृद्धि के हकदार होंगें तथा अप्रशिक्षित प्रखंड शिक्षक/पंचायत शिक्षक 300 रूपये वृद्धि के हकदार होंगें ।

(iv) ऐसे नियोजित शिक्षक अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक नियोजित रह सकेंगें ।

(v) अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (N.C.T.E) द्वारा अनुमोदित दो वर्षो के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी । 6 वर्षो के बाद सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक का नियत वेतन देय होगा ।

(vi) प्रशिक्षित शिक्षकों तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए भी नियमित रूप से सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी जिसमें उनका भाग लेना अनिवार्य होगा ।

(vii) इस नियमावली के अधीन नियोजित पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार का भत्ता यथा महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, चिकित्सा भत्ता, परिवहन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

**13– स्थानान्तरण :–**

(i) पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक के पद अस्थानान्तरणीय होगा।

परन्तु प्रखण्ड शिक्षक को अपनी सेवा काल में तीन वर्षो के बाद अधिकतम दो स्थानान्तरण लेने की सुविधा रहेगी ।

(ii) यदि किसी विद्यालय के एक रिक्त पद हेतु एक से अधिक स्थानान्तरण के आवेदन प्राप्त होते हैं, तो अनुसूची–II के अवरोही कम में शिक्षकों को प्राथमिकता दी जायेगी और इस प्रकार के स्थानान्तरण की कार्रवाई कंडिका 9 (vii) में गठित समिति के द्वारा की जायेगी ।

**14– सेवा पुस्तिका का संधारण :–**

प्रखण्ड शिक्षक एवं पंचायत शिक्षक की सेवा पुस्तिका का संधारण क्रमशः प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी/ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाएगा ।

KEAMS

15– <u>छुट्टी</u> :–

पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक को वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश देने की शक्ति विद्यालय के प्रधान की होगी। महिला शिक्षक 90 दिनों की मातृत्व अवकाश की हकदार होगी ।

16– <u>वेतन भुगतान</u>:–

(i) पंचायत प्रारम्भिक शिक्षकों का वेतन भुगतान चेक/अन्तरण द्वारा किया जायेगा ।

(ii) पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत को पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन के लिए यथा आवश्यक अनुदान सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

17– <u>अनुशासनिक कार्रवाई</u> :–

(i) बच्चों को पीटने तथा प्रताड़ित करने के आधार पर विद्यालय शिक्षा समिति की अनुशंसा पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी ।

(ii) विद्यालय से अनुपस्थित रहने, आदतन समय पर विद्यालय नहीं आने तथा कर्त्तव्यों के प्रति उदासीनता की स्थिति में विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक अनुशासनिक कार्रवाई शुरु कर सकेंगे। विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । अनुशासनिक कार्रवाई के संबंध में अंतिम निर्णय कंडिका 9 (vii) की समिति द्वारा लिया जायेगा ।

18– <u>शिकायत</u> :–

इस नियमावली के अधीन प्रखण्ड शिक्षकों के नियोजन, स्थानान्तरण अथवा सेवा शर्त्तों संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार की शिकायता पर निर्णय लेने की शक्ति उप विकास आयुक्त को होगी तथा पंचायत शिक्षक के मामले में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की होगी । संबंधित पदाधिकारी अधिकतम 30 दिनों के अन्दर शिकायतों पर निर्णय दे देंगे ।

19– <u>प्रकीर्ण</u> :–

राज्य सरकार इस नियमावली के किसी प्रावधान को अधिसूचना/अनुदेश के द्वारा स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाईयों को दूर कर सकेगी ।

20– <u>निरसन एवं व्यावृत्ति</u> :–

(i) इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षकों/शारीरिक शिक्षकों/पंचायत शिक्षामित्र के नियोजन से संबंधित पूर्व की सभी नियमावली संकल्प आदेश अनुदेश आदि निरस्त माने जायेंगे ।

(ii) किन्तु इस निरसन के होते हुए भी पूर्व के नियमावली, संकल्प, आदेश, अनुदेश आदि के तहत नियुक्त शिक्षकों के वेतनादि एवं सेवा शर्त्तों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(iii) किन्तु पूर्व के परिपत्र, आदेश, अनुदेश के आलोक में नियोजित एवं कार्यरत पंचायत शिक्षा मित्र इस नियमावली के तहत पंचायत शिक्षक के रूप में नियोजित माने जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मदन मोहन झा)
आयुक्त एवं सचिव
मानव संसाधन विकास विभाग

## अनुसूची I

## आवेदन प्रपत्र

## प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षक के पदों पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र

प्रखण्ड शिक्षक :– प्रशिक्षित ☐ अप्रशिक्षित ☐

पंचायत शिक्षक :– प्रशिक्षित ☐ अप्रशिक्षित ☐

(जो लागू हो, उसे (✓) करें)

पासपोर्ट साइज का स्वअभिप्रमाणित फोटो

1. नियोजन के प्रखंड/पंचायत का नाम :–
2. अभ्यर्थी का नाम :–
3. (क) पिता का नाम :–
   (ख) माता का नाम :–
4. जन्म तिथि :–
5. लिंग :– पुरुष ☐ महिला ☐ 6. 1ली जनवरी, 2006 को आयु :– वर्ष ☐ माह ☐ दिन ☐
7. स्थायी पता :– ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर ..............................
   ..............................
   ..............................
   थाना :– .................. जिला :–.................. पिन कोड :– ..................
8. पत्राचार का पता ग्राम/मोहल्ला/सड़क/शहर ..............................
   ..............................
   ..............................
   थाना :– .................. जिला :–.................. पिन कोड :– ..................
9. कोटि : सामान्य ☐ आरक्षित ☐
10. आरक्षण की कोटि :– अ0ज0 ☐ अ0ज0जा0 ☐ अ0पि0व0 ☐ पि0व0 ☐
11. यदि विकलांग हो तों :– दृष्टि बाधित ☐ श्रवण बाधित ☐ अस्थिजन्य निःशक्त ☐
12. योग्यता :–

| शैक्षणिक | विद्यालय/महाविद्यालय का नाम | बोर्ड/परिषद्/ विश्व0 का नाम | उत्तीर्ण होने का वर्ष | कुल प्राप्तांक | प्रतिशत अंक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक/इन्टर | | | | | |
| प्रशैक्षणिक योग्यता – | | | | | |
| दो वर्षीय प्रशिक्षण/ बी0एल0एड0/बी0एड0/ सी0पी0एड0 | | | | | |

नोट :– यदि कोई अभ्यर्थी दो वर्षीय प्रशिक्षण एवं बी0 एड0 दोनों की डिग्री प्राप्त किया हो तो उनके द्वारा दावा किये गये किसी एक प्रशिक्षण के प्राप्तांक के प्रतिशत को मेधा अंक में जोड़ा जायेगा ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनायें सही है । किसी प्रकार की सूचना गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द करते हुए अन्य आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी ।

स्थान ..............................

तिथि .............................. आवेदक का हस्ताक्षर

---

## प्राप्ति रसीद

श्री/सुश्री/श्रीमती .............................. से प्रखण्ड शिक्षक/पंचायत शिक्षक पद पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या .............................. है ।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम,
(मुहर के साथ)

दिनाक :–

## आवश्यक अनुदेश

1. आवेदन पत्र प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी / पंचायत सेवक के कार्यालय मे सीधे अथवा निबंधित पत्र द्वारा भेजा जाए ।
2. आवेदन पत्र के साथ दो 10" X 6" साईज का अपना पता लिखा हुआ लिफाफा स्टाम्प के साथ संलग्न करना है ।
3. आवेदन पत्र के साथ किसी प्रकार का प्रमाण पत्र / अक पत्र / जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नही है ।
4. जिनका चयन होगा वे निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र / अंक पत्र / जाति प्रमाण पत्र के साथ–साथ उनकी अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होंगे ।
5. नियोजन के पूर्व यथा आवश्यक निवास प्रमाण पत्र देना होगा ।
6. छायाप्रति के आधार पर यथा आवश्यक जॉच कराई जाएगी एवं किसी प्रकार की गलती पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।
7. काउन्सिलिंग / योगदान के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

नोट :–

| | | |
|---|---|---|
| अ०ज० | – | अनुसूचित जाति |
| अ०ज०जा० | – | अनुसूचित जन जाति |
| अ०पि०व० | – | अत्यंत पिछड़ा वर्ग |
| पि०व० | – | पिछड़ा वर्ग |

## अनुसूची – II

| अनुकमांक | पंचायत शिक्षक का प्रवर्ग | | |
|---|---|---|---|
| 1. | विकलांग महिला | – | (1) अनुसूचित जन जाति (2) अनुसूचित जाति<br>(3) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (4) पिछड़ा वर्ग<br>(5) अनारक्षित |
| 2. | विकलांग पुरूष | – | (1) अनुसूचित जन जाति (2) अनुसूचित जाति<br>(3) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (4) पिछड़ा वर्ग<br>(5) अनारक्षित |
| 3. | महिला | – | (1) अनुसूचित जन जाति (2) अनुसूचित जाति<br>(3) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (4) पिछड़ा वर्ग<br>(5) अनारक्षित |
| 4. | पुरूष | – | (1) अनुसूचित जन जाति (2) अनुसूचित जाति<br>(3) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (4) पिछड़ा वर्ग<br>(5) अनारक्षित |

KEXAMS

अनुसूची III

## पंचायत शिक्षक / प्रखण्ड शिक्षक के नियोजन हेतु नियोजन पत्र

सेवा में,

श्री / सुश्री / श्रीमती ..........................................

..........................................................................

..........................................................................

प्रसन्नतापूर्वक सूचित करना है कि ........................................................................ प्रखण्ड / पंचायत के अन्तर्गत ........................................................................ विद्यालय में ................................................ शिक्षक (प्रशिक्षित / अप्रशिक्षित) के रूप में नियोजित करने हेतु आपका चयन किया गया है ।

आपका नियोजन बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली 2006 के अनुसार होगा। अगर आपको नियोजन स्वीकार्य हो तो कृपया निम्नांकित प्रपत्र में अपनी सहमति अंकित करते हुए इसे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सुपुर्द करें तथा दस दिनों के अन्दर उपरोक्त विद्यालय में योगदान दें।

तिथि :– प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर,

स्थान :– पूरा नाम, कार्यालय तथा मुहर

---

### सहमति पत्र

मैं ................................................................ पिता ........................................................................

माता ............................................................ पता ........................................................................

........................................................................................................ "बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2006" में अंकित शर्त्तों के अधीन पंचायत शिक्षक / प्रखण्ड शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ ।

स्थान :–

दिनांक :– हस्ताक्षर

पूरा नाम ..........................................

पता

---

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित एवं अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 579—571+3000—डी०टी०पी०